

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 07 / 2020
आरसीएमएस नम्बर : 2020 / 00044

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत नाना 2. श्री बाबुलाल पुत्र ईश्वरलाल जाति कालबेलिया, निवासी-नाना, तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम
उपस्थिति -

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।


—: निर्णय :-

दिनांक:- 27.10.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी मिसल संख्या 111/2004-05, संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 48 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस के अनुपस्थित रहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत नाना ने अप्रार्थी संख्या 2 श्री बाबुलाल पक्ष में राजस्थान पंचायत राज नियम के नियम 157-1(ख) के तहत पट्टा संख्या 48 दिनांक 30.11.2004 जारी किया गया। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 2349 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में जारी किया गया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, बाली ने जरिये पत्रांक सतर्कता/2019/1754 दिनांक 05.12.2019 से श्रीमान प्रभारी अधिकारी, सतर्कता शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को प्रेषित रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 में यह अंकन किया है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत नाना में जर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में पट्टे के अलावा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत पंचायती राज नियमों की पालना किए बिना ही अप्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 48 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, ग्राम पंचायत का रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम विक्रय विलेख संख्या 48 को जारी किया गया है। उक्त विक्रय विलेख के संबंध में ग्राम पंचायत नाना में मात्र विक्रय विलेख ही


जिला कलेक्टर, पाली

उपलब्ध है, मूल मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। इसलिए मूल रेकॉर्ड के अभाव में विक्रय विलेख जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं ? इस संबंध में परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। लेकिन हस्तगत निगरानी विकास अधिकारी, बाली ने जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति पाली के समक्ष परिवाद संख्या 67/2019 में दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में पेश की है। इस संबंध में पत्रावली संलग्न उप तहसीलदार नाना/बेड़ा की मौका फर्द दिनांक 29.08.2019 के अनुसार एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा जरिये पत्रांक सतर्कता/2019/1954 दिनांक 05.12.2019 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा ग्राम पंचायत नाना ने चार अन्य व्यक्तियों को भी खसरा नम्बर 2349 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में पट्टे जारी किये हैं। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख गैर मुमकिन रास्ते की सरकारी भूमि में जारी किए गए हैं, जिसका ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत को मात्र आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत नाना का संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 48 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत नाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी मिसल संख्या 111/2004-05, संकल्प संख्या 14 दिनांक 30.11.2004 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 48 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकॉर्ड ग्राम पंचायत नाना को भिजवाई जावे।



निर्णय आज दिनांक 27/10/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)

अति. जिला कलेक्टर, पाली